

क्रमांक:प.6(3)राज.-6/2020/138.

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-6) विभाग

जयपुर, दिनांक : 24/08/2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के नियम 6 के उप-नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित भूमियों के क्षेत्र को, जिसे राजस्व (ख) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.2(168)राज/ख/गुप-3/71 दिनांक 15.02.1973 से लवण क्षेत्र घोषित किया गया था, को तत्काल प्रभाव से लवणीय क्षेत्र से वापिस लेती है:-

अनुसूची

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा नं.	किस्म	क्षेत्रफल	लवणीय क्षेत्र से वापिस लिया जाने वाला क्षेत्रफल
सांभरा	पचपदरा	बाड़मेर	304/280	गैर मुमकिन खार	471-09 वीघा	10 एकड़ (25-00 वीघा)

राज्यपाल की आज्ञा से,

(एम0 डी0 रत्न)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
- 3- निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उद्योग विभाग।
- 4- आयुक्त, उद्योग विभाग।
- 5- संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
- 6- जिला कलक्टर, बाड़मेर।
- 7- निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
- 8- निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण अंक में दिनांक 24/08/2022 प्रकाशन हेतु प्रेषित।
- 9- निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
- 10- राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर।
- 11- समस्त संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, राजस्व विभाग।
- 12- Analyst Cum Programmer (ACP), राजस्व विभाग, जयपुर।
- 13- रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव